



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 63/2014 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2014/00191)

अनवात:

1. हंसराज पुत्र पतराम निवासी 1 एमकेबी (उडसर) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक।
2. कृष्ण लाल उर्फ किरसन पुत्र भजन लाल जाति विश्नोई निवासी का उडसर तहसील रायसिंहनगर वगैरह।

27.05.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त को रेस्पोंडेंट संख्या 11, 12, 15, 16, 17 व 25 ता 27 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 01.09.2014 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछ लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलान्त को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को सुनाया गया।

94/27/5724  
(वन्दना सिधवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर